



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4194]

नई दिल्ली, शुक्रवार, दिसम्बर 27, 2019/पौष 6, 1941

No. 4194]

NEW DELHI, FRIDAY, DECEMBER 27, 2019/PAUSHA 6, 1941

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 दिसम्बर, 2019

का.आ. 4695(अ).—केन्द्रीय सरकार ने, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 6458 (अ) दिनांक 31.12.2018, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशित की गई थी, द्वारा महाराष्ट्र राज्य के पालघर जिले में NH48 के कि.मी. 496.1 से कि.मी. 498.35 तक के राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण (चौड़ाकरण / छः लेन का बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए उस अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा की थी;

और उक्त अधिसूचना का सार उक्त अधिनियम की धारा 3क की उपधारा (3) के अधीन दिनांक 09.03.2019 को "लोकसत्ता" और "टाइम्स ऑफ इंडिया" दोनों में प्रकाशित किया गया था;

और आक्षेप प्राप्त हुए थे और सक्षम प्राधिकारी ने उन पर विचार कर लिया है और आक्षेपों को अननुज्ञात कर दिया है ;

और सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दी है ;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, सक्षम प्राधिकारी की उक्त रिपोर्ट प्राप्त हो जाने पर और उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए अर्जन किया जाना चाहिए ;

और अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (2) के अनुसरण में यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन पर, उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर आत्यन्तिक रूप से केन्द्रीय सरकार में निहित हो जाएगी।

अनुसूची

महाराष्ट्र राज्य के पालघर जिले में NH48 के कि.मी. 496.1 से कि.मी. 498.35 तक के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना सहित अथवा संरचना रहित भूमि का संक्षिप्त विवरण।

राज्य का नाम: महाराष्ट्र		जिले का नाम: पालघर			
क्रमिक संख्या	सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	भूस्वामी/हितबद्ध व्यक्तियों का नाम
1	2	3	4	5	6
	तालुक का नाम: वसई				
	गांव का नाम: ससुनावघर				
1	167 / 2 / 1	निजी	एग्रीकल्चर	0.082	आनंदकुमार अग्रवाल (१६७ / २ / १)
2	167 / 2 / 2	निजी	एग्रीकल्चर	0.04	आनंदकुमार अग्रवाल (१६७ / २ / २)
			कुल	0.122	

[फा सं. NHAI/MC-II/Phase-V/LA/Surat-Dahisar/Pt./3D1]

राजेश गुप्ता, उप सचिव

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 27th December, 2019

S.O. 4695(E).—Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways, S.O. No. 6458(E) dated 31.12.2018, published in the Gazette of India, Extraordinary Part II, Section 3, Sub-section (ii) issued under sub-section (1) of section 3A of the National Highway Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government declared its intension to acquire the land specified in the Schedule annexed to the said notification for building (widening / Six laning, etc.), maintenance, management and operation of NH48 on the stretch of land from Km. 496.100 to Km. 498.350 in the district of PALGHAR in the State of MAHARASHTRA.

And whereas the substance of the said notification has been published in “LokSatta” and “Times of India” both dated 09.03.2019; under sub-section (3) of section 3A of the said Act;

And whereas objections have been received and the same have been considered and disallowed by the Competent Authority;

And whereas, in pursuance of sub-section (1) of section 3D of the said Act, the competent authority has submitted its report to the Central Government;

Now, therefore, upon receipt of the said report of the competent authority and in exercise of the powers conferred by the sub-section (1) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that the land specified in the said Schedule should be acquired for the aforesaid purpose;

And further, in pursuance of sub-section (2) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that on publication of this notification in the Official Gazette, the land specified in the said Schedule shall vest absolutely in the Central Government, free from all encumbrances.

SCHEDULE

Brief description of the land to be acquired, with or without structure, falling within the stretch of land from NH48 (Ch. Km. 496.100 to Km. 498.350) in the district of PALGHAR in the state of MAHARASHTRA

State: MAHARASHTRA		District: PALGHAR			
Sr. No.	Survey Number	Type of Land	Nature of Land	Area in Hectare	Name of the Land Owner/Interested Person Part Survey No.
1	2	3	4	5	6
	Taluk: Vasai				
	Village: Sasunavghar				
1	167 / 2 / 1	Private	Agriculture	0.082	AnandKumar Agrawal 167 / 2 / 1
2	167 / 2 / 2	Private	Agriculture	0.04	Anandkumar Agrawal 167/2/2
			TOTAL	0.122	

[F. No. NHAI/MC-II/Phase-V/LA/Surat-Dahisar/Pt./3D1]

RAJESH GUPTA, Dy. Secy.